(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 1934–दो/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 119/2015–16/अपील

---

1. शेर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
2. मुखविंदर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
   निवासीगण ग्राम घसारई तहसील व
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदकगण
3. सुखविंदर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
   निवासी ग्राम घसारई तहसील व
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) ..... फॉर्मल आवेदक

विरुद्ध

1. गिर्राज दुबे पुत्र श्री सीताराम दुबे
   निवासी ग्राम कोटा तहसील व
   जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. बलविंदर गौर पत्नि श्री बलदेव सिंह सिक्ख
3. गुरमुख सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह सिक्ख
4. विंदर कौर पुत्री बलदेव सिंह सिक्ख
   निवासी ग्राम सेसई सड़क परगना कोलारस
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता

अनावेदक क. 1 की ओर से श्री एस.पी. धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 03/1/18 **.....को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक

119 / 2015–16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं ग्राम घरासाई स्थित भूमि सर्वे कमांक 31 / 1 रकवा 3.30 हे. के हिस्सा 1 / 4 की भूमि स्वामी बलविंदर कौर, गुरुमुख सिंह एवं विंदर कौर थे, जिनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 01.12.14 से अनावेदक क. 1 गिर्राज दुबे पुत्र सीताराम दुबे के हित में विकय की गई। क्रेता द्वारा तहसील न्यायालय में विकय–पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग करने पर तहसीलदार शिवपुरी द्वारा आदेश दिनांक 30.06.15 पारित करते हुए विकीत भूमि पर केता गिर्राज दुबे पुत्र सीताराम दुबे का नामांतरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 28.12.15 को निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील आदेश दिनांक 17.06. 2016 द्वारा अस्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में जो बंटवारा है सह सर्वे नंबर 31 / 1 का है किंतु नामांतरण 31 / 1 / 1 पर किया गया । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में इस संबंध में आपत्ति की गई तथा यह भी आपत्ति की गई कि विवादित भूमि के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 से 4 के मध्य विवादित होने एवं सिविल प्रकरण लंबित रहने के दौराभूमि का विकय किया गया है, परंतु आपत्ति को पूर्णतया अनदेखा कर अनावेदक कं. 1 का नामांतरण किया गया है जो अवैधानिक है अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त बिंदु पर कोई विचार नहीं किया गया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक का कहना गलत है । तहसीलदार ने विकयपत्र के आधार पर नामांतरण किया है। तीनों

न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह पाया है कि अनावेदकगण ग्राम घसाराई स्थित भूमि सर्वे नंबर 31/1 रकबा 3.30 हैक्टर के हिस्सा 1/4 के भूमिस्वामी हैं और उनके द्वारा अनावेदक कमांक 1 को पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 1–12–14 द्वारा भूमि का विकय किया गया है । उन्होंने न्यायदृष्टांत 1995 आर0एन0 100 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर दीवानी न्यायालय में स्वत्व का दावा प्रस्तुत होने के कारण नामांतरण को नहीं रोकना उचित माना है तथा न्यायदृष्टांत 1998 आर0एल0 231 में प्रतिपादित सिद्धांत जिसमें नामांतरण का उद्देश्य अभिलेख को अद्यतन रखना तथा नामांतरण किसी प्रकार का स्वत्व प्रदान नहीं करता अपितु विधिवत हक को मान्यता प्रदान करता है, के आधार पर पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा किए गए नामांतरण को उचित ठहराया गया है । प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर